कार्यालयःसंयुक्त शिक्षा निदेशक,अलीगढ मण्डल अलीगढ०

पत्रांकःअधि० /7091-97 /2018–19 दिनांकः 01-03-2019

–संशोधित आदेश–

प्रबन्धक ओ०एम०बी० इण्टरनेशनल स्कूल हसायन हाथरस ने अपने पत्र दिनांक–21.02.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र में ओ०एम०बी०इण्टरनेशनल स्कूल हसायन हाथरस के स्थान पर ओ० एम० वी० इण्टरनेशनल स्कूल हसायन हाथरस टंकित है जिसे संशोधित करने का कष्ट करे।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांकःमा०शि०(NOC)अनुभाग / 1908–14 / 2018–19 दिनांक–13.06.2018 द्वारा निर्गत पत्र में अंकित ओ०एम०वी० इण्टरनेशनल स्कूल हसायन हाथरस के स्थान पर ओ०एम०बी०इण्टरनेशनल स्कूल हसायन हाथरस पढा जाय।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक,अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

पृष्ठॉकन संख्या एवं तिथि यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
2–जिलाधिकारी,हाथरस।
3–संयुक्त सचिव (शिक्षा–7 अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।
4–शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5–सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा केन्द्र–2,सुमदाय केन्द्र प्रीत विहार,नई दिल्ली।
6–जिला विद्यालय निरीक्षक,हाथरस।
7–प्रबन्धक ओ०एम०बी० इण्टरनेशनल स्कूल,हसायन, हाथरस।

01/03/19

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक,अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

①

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार मलिक,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग/ ✓ /2018–19 दिनांकः 13-6-18

विषयः **ओ0एम0वी0 इण्टरनेशनल स्कूल हसायन हाथरस,को सी0बी0 एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1916/15–7–9(299)/2017 दिनांकः 14–07–2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांकः 07.06.2018 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
3. कर्मचारियों की सेवा शतें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
4. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
5. फीस उन्ही मदों में चार्ज किए जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थिति ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।
6. राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे,संस्था उनका पालन करेगी।
7. उक्त शर्तो में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।
8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा।
9. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

10. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
11. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अर्न्तगत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चो को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
12. संस्था की वार्षिक आय–व्यय का सी0ए0द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा–जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।
13. स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है,तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

पृष्ठांकन संख्या–एस0टी0/ 1908-14 /2018–19 तद् दिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
2–जिलाधिकारी,हाथरस।
3–संयुक्त सचिव(शिक्षा–7अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।
4–शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5–जिला विद्यालय निरीक्षक,हाथरस ।
6–प्रबन्धक, ओ0एम0वी0 इण्टरनेशनल स्कूल हसायन हाथरस

17.6.18.

(जितेन्द्र कुमार मलिक)
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।